उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-06/2016-सा-3-यू0ओ0-44-दस/2016
लखनऊ:दिनॉक: 02 मार्च, 2016

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश एवं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, उत्तर प्रदेश की कतिपय मांगों जिनका उल्लेख आगे किया गया है, पर विचार-विमर्श कर मत स्थिर किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का एतद्द्वारा गठन किया जाता है :-

1-	प्रमुख सचिव, वित्त	अध्यक्ष
2-	प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक	सह अध्यक्ष
3-	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास	सदस्य
4-	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5-	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
6-	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व	सदस्य
7-	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई	सदस्य
8-	सचिव, वित्त वेतन आयोग/ वित्त(सामान्य)अनुभाग-3	सदस्य
9-	निदेशक, पेंशन	सदस्य
10-	विशेष सचिव, वित्त (सामान्य)अनुभाग-3	सदस्य सचिव

2- समिति द्वारा अधोलिखित मांगों पर आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी संस्तुति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी :-

(1)- दिनाँक 01-04-2005 के पूर्व विनियमित किये गये कार्मिको, जिनकी नियमित सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है, को पेंशन की सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धी मांग।

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2)- विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति 10 वर्ष की सेवा पर पेंशन/ग्रेच्युटी प्रदान किये जाने की मांग।

3- यह अपेक्षा की जाती है कि समिति में नामित सदस्यगण समिति की बैठकों में स्वयं प्रतिभाग करेंगे।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-06/2016-सा-3-यू0ओ0-44(1)/दस-2016 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समिति के समस्त सदस्य।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।